कोपल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टकनोलॉजी कलखेड़ा नीलबड़ भोपाल
छात्रों एवं पालकों द्वारा प्रस्तुत घोषणा–पत्र

छात्रों की प्रवेशित कक्षाओं में नियमित उपस्थिति सत्र के प्रथम दिवस से ही सुनिश्चित करने एवं आर.जी.पी.व्ही विश्वविद्यालय द्वारा जारी नियमों एवं निर्देशों के प्रति छात्रों को जागृत करने हेतु यह घोषणा–पत्र जारी किया जा रहा है। इस घोषणा–पत्र में छात्रों एवं पालकों के हस्ताक्षर रहेंगे इन्हें छात्र अपने शाखा प्रमुख व्याख्याता को सत्र के प्रथम सेमीस्टर के प्रारंभ में प्रस्तु करेंगे ।

1. मैं ....पुत्र / पुत्री ....प्रवेश दिनांक.................................. ....प्रथम / द्वितिय / तृतीय / चतुर्थ वर्ष शैक्षणिक सत्र 2015–16 के प्रारंभ में मै तथा मेरे अभिभावकों की हस्ताक्षरित घोषण–पत्र की प्रति प्रस्तुत करता हूँ / करती हूँ

2. मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ / करती हूँ, कि मैं यह सुनिश्चि करता हूँ / करती हूँ, कि मेरी उपस्थिति सभी नियमित कक्षाओं में (थ्योरी / प्रेक्टिकल / ड्रॉईंग) 75 प्रतिशत से कम नही रहेगी । आर.जी.पी.व्ही के नियमा नुसार मेरी किसी विषय में निर्धारित उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम पाए जाने की दशा में एक वर्ष की हानी हो सकती है जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा / रहूँगी ।
3. मैं अनिवार्य रूप से कॉलेज द्वारा निर्धारित यूनिफार्म (गणवेष) नियमित रूप से धारण करूंगा / करूंगी।
4. मै कॉलेज के नियमों एवं निर्देशों का पालन करूंगा / करूंगी एवं मै कॉलेज परिसर एवं बाहर सभ्य एवं शांत आचरण बनाए रखूंगा / रखूंगी यदि मेरे आचरण में किसी प्रकार की अनुशासनहीनता पाई जाती है, तो कॉलेज कमेटी मेरे विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकती है।
5. मैं अपनी निर्धारित पढ़ाई कॉलेज परिसर / होस्टल एवं निवास में बिना समय नष्ट किये नियमित रूप से जारी रखूंगा / रखूंगी । मैं अपने व्यक्तित्व विकास हेतु महाविद्यालय द्वारा समय–समय पर लिए जा रहे टेस्ट, क्लासेस, सेशनल वगैरह में उपस्थित रह कर उत्तम परिणाम दूंगा / दूंगी । मैं दिए गए असाइनमेंट समय पर महाविद्यालय में जमा करूंगा / करूंगी ।
6. मैं महाविद्यालय परिसर में मोबाइल फोन नहीं लेकर आऊंगा / आऊंगी । मैं किसी प्रकार की रैंगींग में सम्मिलित नहीं रहूंगा / रहूंगी । मुझे यह भलीभांति ज्ञात है कि यू.जी.सी के नियमानुसार महाविद्यालय परिसर में मोबाइल फोन का प्रयोग एवं महाविद्यालय परिसर अथवा बाहर किसी की रैगींग लेना या सहयोग करना प्रतिबंधीत है। इसमें लिप्त पाए जाने पर दण्ड़ात्मक कार्यवाही हो सकती है ।

7. मैं अपनी शिक्षण–शुल्क (ट्यूशन फीस), परीक्षा–फीस एवम अन्य आवश्यक देयक समय पर अदा करूंगा/करूंगी । यदि मुझ पर कोई देयक राशि शेष रहती है तो प्रबंधन मुझे कक्षाओं में बैठने से वंचित कर सकता है।
8. मैं किसी प्रकार की हिंसात्मक कार्यवाही में सम्मिलित नहीं रहूंगा/रहूंगी । मैं महाविद्यालय परिसर अथवा बाहर कार्य के सुचारू संचालन में किसी प्रकार की बाधा या विघ्न नहीं डालूंगा/डालूंगी ।
9. यदि मैं लगातार 3 दिवस या उससे अधिक, कक्षाओं में अनुपस्थित रहता हूँ /रहती हूँ तो मेरे अभिभावक सम्बंधित शाखा प्रमुख व्याख्याता या प्राचार्य से मिल कर इसे सूचित करेंगें ।
10. प्रवेश निरस्त करने की दशा में प्रवेशित कोर्स की पूर्ण अवधि की संपूर्ण फीस मैं जमा करूंगा/करूंगी । मेरे द्वारा पूर्व में जमा की गई फीस की राशि वापस प्राप्त करने का अधिकारी नहीं रहूंगा/रहूंगी ।

सत्यापन

मैने इस घोषणा–पत्र के प्रत्येक बिंदु का भलिभांति अध्ययन कर लिया है। मुझे यह ज्ञात है कि यह घोषणा पत्र मेरे/उसके लाभ एवं प्रगति के उद्देश्य से जारी किया गया है। मुझे यह भी ज्ञात है कि मेरे /उसके द्वारा यदि किसी प्रकार की अनुशासन हीनता पाई जाती है तो महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के नियमानुसार मुझपर अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है ।

__________ ________________

हस्ताक्षर छात्र

हस्ताक्षर पालक
नाम एवं पता फोन नंबर

=0000=